मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
कार्मिक शाखा, पुणे - 411001

संख्या - पीए/पी/यांत्रिकी/समाडि/एक्टअप्रे.-1961

दिनांक:- 18.09.2014

अधिसूचना

विषय: पुणे मंडल पर यांत्रिक (समाडि) में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षुओं की भर्ती ।

-----

1. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड के लिये नीचे दर्शाए अनुसार व्यवसाय प्रशिक्षु पद हेतू यांत्रिकी/समाडि, पुणे के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
   यांत्रिकी/समाडि में 30 सीटों को ट्रेड और कोटो के अनुसार निम्नानुसार विभाजित करने का प्रस्ताव है:-

क्र.	**पदनाम ट्रेड**	**पदों की संख्या**	**कोटी के अनुसार विभाजन**			
			सामान्य	अ.जा. 15%	अ.ज.जा. 7.5%	अ.पि.व. 27%
01	फीटर	20	10	03	02	05
02	कार्पेंटर	02	01	00	00	01
03	मशिनिस्ट	03	02	00	00	01
04	वेल्डर	03	02	00	00	01
05	पेंटर (जनरल)	02	01	00	00	01
	कुल	**30**	**16**	03	**02**	**09**

क) योग्यता:
10+02 पद्धति के अनुसार शैक्षणिक योग्यता - 50% अंक प्राप्त कर 10 वीं पास (राज्य/आयसीएसई/सीबीएसई/एनआयओएस) मैटरिकुलेशन और **आयटीआय.**

ख) दिनांक 18.09.2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार आयु सीमा निम्नासार होगी।
- i) आयटीआय/डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारो के लिए आयु 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए।
- ii) अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष और अ.पि.व. के लिए 03 वर्ष आयु सीमा में छुट होगी।

2. **चयन:-**
   व्यवसाय प्रशिक्षुओं के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। मेरिट निम्नानुसार होगा :-
   - i) 10 वीं कक्षा में बोर्ड स्तर पर अंकों के प्रतिशत के अनसार (राज्य/आयसीएसई/सीबीएसई/ एनआयओएस) न्युनतम 50% अंक प्राप्त हो (कुल)।
   - ii) आइटीआइ अतिरिक्त शिक्षा के लिए 5% अधिमान अंक के अनुसार

3. **शिष्यवृत्ती:-**
   - i) प्रशिक्षण के दौरान प्रथम वर्ष रू. 2400/- प्रतिमाह
   - ii) प्रशिक्षण के दौरान दूसरे वर्ष रू. 2800/- प्रतिमाह

आवेदन कैसे करें

i. **आवेदन साधारण डाक द्वारा अथवा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा, तल मंजिल, पुणे रेलवे स्टेशन के पास, पुणे-411001 में रखे बॉक्स में समय के अंदर डाले। आरपीडी/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगे।**

ii. आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में ही स्वयं के हस्ताक्षर में हिंदी/अंगेजी में भरे।

iii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्कूल लीविंग, प्रमाणपत्र/अकादमीक/तकनिकी शेक्षणिक योग्याता/जाती प्रमाणपत्र (यदि हो) की झेराक्स प्रतियों को साक्षांकित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

iv. आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर स्वंय का हाल ही का रंगीन फोटो (तीन माह से पहले का न हो)लगाकर स्वयं द्वारा सत्यापित करें।

v. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक ट्रेड के लिए, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं, अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

vi. आवेदन "**मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) पुणे 411 001**" पते पर भेजे।

vii. 9 X 4 इंच आकार के 2 लिफाफे स्वयं का पता लिखा हुआ तथा एक लिफाफे पर रू. 30/- का टिकट लगाए और दूसरे लिफाफे पर रू. 10/- का टिकट लगाए, आवेदन के साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो भेजे।

टिप्पणी :आवेदन के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र न भेजे।

सामान्य शर्ते

i. आवेदन सभी तथ्यों में परिपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण/बिना हस्ताक्षर/नवीनतम फोटोग्राफ का न चिपकाना/ प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को न भेजना, योग्यता के लिए अपात्र माना जाएगा और उसे अस्वीकृत माना जाए। केवल प्रस्तुत किए गए आवेदन, (बिना प्रमाणपत्रों) आवेदक को चिकित्सा जांच और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाने के अधिकार की पुष्टी नहीं करेगा।

ii. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा ।

iii. आवेदक द्वारा संलग्न किए जाने अनिवार्य प्रमाणत्रों के अनुसार योग्यता का निर्णय होगा।

- क) जन्मतिथि प्रमाणपत्र
- ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र (शैक्षिक/तकनीकी मार्क शीट/उत्तीर्ण प्रमाणपत्र)
- ग) जाति प्रमाणपत्र

iv. चिकित्सा जांच हेतु चयनियत उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच के समय अपने मूल प्रमाणपत्र लाने होंगे।

v. उम्मीदवार को चिकित्सा जांच के लिए अपने स्वंय के खर्चे से उपस्थित रहना है।

vi. चयनीत उम्मीदवार को रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उनके चिकित्सा स्वस्थता अर्थात बी-I चिकित्सा श्रेणी द्वारा संबंधित व्यवसाय परीक्षण के लिए निर्धारित शारिरिक योग्यता के उचित मानक की पुष्टी करनी चाहिए।

vii. अंतिन चयन के पश्चात नामित किए गए व्यवसायों को आबंटित करने का अधिकार प्रशासन के पास आरक्षित है।

viii. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु उनके रहने की व्यवस्था स्वंय करेगा ।

ix. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले स्थापना के साथ अप्रांटिसशीप का करार करेगा।

x. कर्मचारी तथा प्रशिक्षु के बीच किये गये प्रशिक्षु करार के प्रावधानों द्वारा प्रशिक्षु को नियंत्रित किया जाएगा।

xi. प्रशिक्षु का कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाया जाता है तो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को स्टायपेंड का भुगतान किया जाएगा ।

xii. प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण साथ में नामित व्यवसायों के लिए उचित अनुदेशों से संबंधित पाठ्यक्रम।

xiii. आय टी आय उम्मीदवारों का प्रशिक्षण तदनुसार नियमित किया जाएगा।

xiv. संबंधित स्थापना के अनुसार कार्य के घंटों का अवलोकन किया जाएगा ।

xv. संबंधित ट्रेड में आइटीआइ के लिये 5% अधिमान अंक दिये जायेंगे , जहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योगयता मैट्रीक्युलेशन है । ट्रेड से संबंधित शिक्षा इंजिनियरिंग डिप्लोमा का भाग न होने से एप्रेंटीस एक्ट के तहत होनेवाली ट्रेड एप्रेंटीस भरती के लिये इंजिनियरिंग में डिप्लोमा के लिये अधिमान अंक नही होंगे , अन्य अधिमान नही होंगे ।

xvi. साक्षात्कार इंटरव्यु नही होंगे ।

xvii. प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार छुट्टीयां दी जाएगी और स्थापना/वर्कशॉप से संबंधित अवकाश लागू होंगे।

xviii. प्रशिक्षु यदि अनुशासनहीनता के लिए कदाचित आरोपी पाया जाता है तो उसकी प्रशिक्षुता (एक्ट अप्रेटिसशिप) तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और उसको प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किया गया स्टायपन्ड ब्याजसहित वसूल किया जाएगा।

xix. प्रशिक्षु उम्मीदवार को ड्यूटी के दौरान प्रशिक्षण क्षेत्र में जख्मी होने पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

xx. प्रशिक्षु उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान पास/पीटीओ जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएगी।

xxi. जिन्होने पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण लिया है उन्हीं प्रशिक्षुओं को एन.सी.टी.वी.टी. में राष्ट्रिय प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में शामिल कराया जायेगा ।

xxii. प्रशिक्षण के अंत में प्रविणता परीक्षा राष्ट्रिय प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी और उनके द्वारा ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

टिप्पणी 1: किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिफारिश करने पर चयन रद्द किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा गलत, झूठी सूचना देने पर या गलत कागजाद प्रस्तुत करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

टिप्पणी 2: आवेदन के साथ में जो प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है उसी पर विचार किया जाएगा बाद में भेजे जाने वाले कागजादो पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 3: प्रशिक्षु के प्रशिक्षण को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को रेलवे में रोजगार देने के लिए किसि भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नही होगा ।
निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 17/10/2014 (शुक्रवार) 17.30 बजे है।

(एस.वी.ठाकूर)
सहायक कार्मिक अधिकारी, पुणे
कृते. मंडल रेल प्रबंधक (का), पुणे

प्रोफार्मा

आवेदक द्वारा प्रोफार्मा स्वंयम के हस्ताक्षर से भरा जाए

प्रति, मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) पुणे 411 001	नवीनतम पास पोर्ट साइज फोटो (जो कि तीन महिनें से अधिक पुराना न हो) यहां पर चिपकाए व उसके उपर हस्ताक्षर करें।

आदरणीय महोदय,

विषय- प्रशिक्षु अधिनियम -1961 के अंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षुको को लगाने हेतु ।

संदर्भ:- अधिसुचना दिनांक 18/09/2014 संख्या : पीए/पी/यांत्रीक/समाडी/एक्ट अप्रेटिस-1961

उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ मे, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पर लगाने हेतू निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत मेरी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार भेजी जा रही है।

आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	सरनेम	नाम	मीडल नाम
पिता का नाम			
पिता का व्यवसाय यदि रेल सेवा में थे/ है	विभाग	पदनाम	स्टेशन
आवेदक की जन्म तिथि(*)	दिन	माह	वर्ष
अधिसूचना की दिनांक के समय आयु (18/09/2014)	वर्ष	माह	दिन
शैक्षिणिक योग्यता **(*)**			
तकनीकी योग्यता अर्थात आयटीआय (*)			
वैवाहिक स्तर	विवाहित/अविवाहित		
दो पहचान चिन्ह	1. 2.		
अजा/अजजा /अपिवर्ग **(*)** (यदि लागू हो तो)			
कद (उंचाई) से.मी. में			
वजन कि.मी. ग्राम में			
आवासीय पता			
संपर्क नंबर,लैंड लाइन नंबर, मोबाइल नंबर			

टिप्पणी – आवेदन के प्रोफार्मा के साथ सभी अनुप्रमाणित प्रमाणपत्रो की स्पष्ट प्रतियां संलग्न करनी चाहिए।

(*) अनिवार्य प्रमाणपत्रों को संलग्न किया जाए।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान : **दिनांक :**

प्रोफार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	4.
1.	5.
2.	6.
3	7.

निचे दिए गये खाली जगह पर आवेदक ने अपने स्वंय हस्ताक्षर से निम्नलिखित दी गई घोषणा लिखनी चाहिए। **मै, यह घोषित करता हूं कि उपरोक्त दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर या उपरोक्त दिये गये मेरे बायो-डाटा में कोई गलती पायी जाती है तो मुझे अपात्र किया जाए। मैं यह भी घोषित करता हूं कि मैने योग्यता शर्त को पूरा करते हुए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को संलग्न किया है।**
(आवेदक द्वारा स्वंय के हस्ताक्षर में उपरोक्त घोषणा लिखने के लिए खाली जगह)
(*) अनिवार्य प्रमाणपत्रों को संलग्न किया जाए।   **आवेदक का हस्ताक्षर**
स्थान - **दिनांक -**